

## संशोधति 'समाधान से विकास' योजना को स्वीकृति

### चर्चा में क्यों?

2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर द्वारा चरिलंबति बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) के बकायों की वसूली को सक्षम बनाने के लिये संशोधति 'समाधान से विकास' योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

### प्रमुख बदि

- चरिलंबति ईडीसी बकाया की वसूली को सक्षम करने के लिये तैयार की गई 'समाधान से विकास' योजना को 6 जुलाई, 2020 को राज्य मंत्रपरिषद की बैठक में अनुमोदति कयिा गया था।
- इस योजना को केंद्रीय योजना 'विाद से वशिवास' की तर्ज़ पर वकिसति कयिा गया था।
- इस नीति के तहत 30 सतिंबर, 2021 तक 1130.13 करोड़ रुपए की राशिवसूल की गई है। वर्तमान में कॉलोनाइजर/डेवलपरस की ओर लगभग 14932.87 करोड़ रुपए की ईडीसी बकाया है। अतः इस योजना को 30 सतिंबर, 2021 के बाद वसितारति नहीं कयिा गया था।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/approval-of-the-revised-samadhan-se-vikas-scheme>

